संख्या-39/2016/515/41-2015-17 यो0/15

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 19 मार्च, 2016

विषय- राज्य योजना में उ0प्र0 ग्रामीण पर्यटन नीति के अन्तर्गत चयनित जनपद-गाजीपुर के ग्राम उसिया के पर्यटन विकास हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-515/6-1-1(727)/2015, दिनांक 15.03.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजना में उ0प्र0 ग्रामीण पर्यटन नीति के अन्तर्गत चयनित जनपद-गाजीपुर के तहसील जमानिया के अन्तर्गत ग्राम उसिया में ऐतिहासिक बाबू साहब तालाब तथा नाजीर खां का मकान व बडा बंगला नामक स्मारक भवनों के हेरिटेज पर्यटन विकास कार्य की परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग निर्माण खण्ड, वाराणसी द्वारा गठित आगणन रू0 99.85 लाख के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 99.10 लाख (रूपये निन्नावे लाख दस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

1. उ0प्र0 ग्रामीण पर्यटन नीति सम्बन्धी शासनादेश सं0 103/2015/1422/41-2015-116 सा0/15, दिनांक 16.06.2015 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत योजना हेतु कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
4. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
5. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
6. संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

<u>संख्या-39/2016/515(1)/41-2016 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, वाराणसी/जिलाधिकारी, गाजीपुर।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
7- मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (सोन), वाराणसी।
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी।
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://sirsaradesh.up.nic.in